तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./742/2006/सवाई माधोपुर किशन्या बनाम उंकारी देवी	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

निर्णय

दिनांक 05.04.2024

प्रार्थी निगरानीकार अधिवक्ता श्री आर.पी. शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी निगरानीकार श्री मदनलाल उपस्थित। बहस निगरानी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का साक्ष्य दिनांक 08-07-2005 को बंद की गई है और साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 11-08-2005 निहित की गई है, उस दिन गवाह हाजिर नहीं आए। उसके पश्चात 5 तारीखों पर पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने के आधार पर तारीखे बदली गई है और दिनांक 20-01-2006 को प्रतिवादी हाजिर नहीं आने पर ओर अवसर प्रदान नहीं किया गया और साक्ष्य बंद की गई है। प्रार्थी निगरानीकार ने दिनांक 20-01-2006 का गवाह के बीमार होने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो फोटोकॉपी है। मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा और इंद्राज दुरुस्ती का है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तकनीकी आधार पर निर्णय करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णय हो इसलिए प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी निगरानीकार अपने समस्त साक्ष्य आगामी पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण में देरी हुई है इसलिए 1000/- हर्जा भी प्रार्थी निगरानीकार पर अभिरोपित किया जाता है। हर्जा अदायकी ही बयान करवाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त होगी। यदि प्रार्थी निगरानीकार हर्जा अदा नहीं करता है तो उसके बयान नहीं लिए जा सकेंगे।

परिणामतः निगरानी संख्या 742/2006 बउनवानी किशन्या बनाम उंकारी देवी उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

उभयपक्ष को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में दिनांक 04-06-2024 को हाजिर रहे।

निर्णय प्रति मय अभिलेख नियमानुसार भिजवाई जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य